FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

ज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लिखमाराम पुत्र प्रेमाराम 2. ईसराराम पुत्र प्रेमाराम 3. गेनाराम पुत्र प्रेमाराम 4. रूगाराम पुत्र प्रेमारा जाति रबारी निवासी रतनासर तहसील गुड़ामालानी		1. वालाराम पुत्र गोटाराम 2. बालकाराम पुत्र मदरूपाराम 3. जूझाराम पुत्र मदरूपाराम जाति राईका निवसी रतनासर तहसील गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. मु0नं0.......99../22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
17.06.2022	प्रार्थीगण लिखमाराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री बाबूलाल विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण वालाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा रतनासर पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 85 रकबा 3.5208 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 13.7917 हैक्टेयर कुल रकबा 17.3125 हैक्टेयर की अवस्थित है। इस भूमि में प्राींगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े व चारवाडे आदि बने हुए हैं। तइस भूमि के चारों ओर वक्त सेटलमेंट से माठें बनी हुई हैं तथा माठों पर वर्षो पुराने पेड़ लगे हुए हैं। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, भूमि की कीमतों में आई अप्रत्यासित वृद्धि के कारण प्रार्थीगण की भूमि को अपनी बताकर पुरानी माठें तोड़कर कब्जा करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाव हो जायेंगे तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। अपनी भूमि की सुरक्षार्थ विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया गया है, मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में केवियट दायर है केवियट अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील केवियट कर्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना प्राप्त केवल मात्र विप्रार्थीगण द्वारा कराई नेखमबन्दी की कार्यवाही को रोकने की नीयत से पेश किया है जो काबिले खारिज है, प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में विप्रार्थीगण की नेखम कार्यवाही को रूकवाने पर उतारू हैं अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि विप्रार्थीगण द्वारा नेखम कार्यवाही का सहारा लेकर प्रार्थीगण की वक्त सेटलमेंन्ट की पुरानी माठों को तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है इसलिये विप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन अध्ययन किया चूंकि प्रार्थीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं तथा [illegible] विप्रार्थीगण पुरानी माठों को तोड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी[illegible] प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया [illegible] तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को विवादित आराजी [illegible] रतनासर पट[illegible] क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में खसरा [illegible] 5208 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 13.79[illegible] 3125 हैक्टेयर भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये र[illegible] विप्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान व नेखम स्थापित करने की कार्यवाही इस अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
18/11/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकलाव पक्षकारान हाजिर। बहस आइन्दा करेंगे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 06/12/24 को पेश हो।
06/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समक्ष में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल कुमार मीणा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:53 IST
Reason: SelfAttested